


20/3/26

पञ्जावली फेब्रुअरी इत्यादी वाची खाजि किता
जाता है। किताबत निराला हकालात निर्यात
जावळ्या खाजि पञ्जावली किताब मनी पञ्जावली
पुस्तक शुभारंभ होवळो नोवळो हें उठो होवळो दाखोवळो
दुखी हो। उठोवळो शुभारंभ मनी


उपजण्ट अधिकारी
कोरली (सज०)

डिक्री मुकदमा इक्टदाई

(औ 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

धर्मसिंह पुत्र सरवन आयु 35 साल जाति लोधा निवासी मैगजीन करौली तहसील व जिला करौली राज0 वादी

बनाम

1. बच्चू पुत्र नानगा
2. मोती पुत्र नानगा
3. राधेश्याम पुत्र बच्चू दत्तक पुत्र मोतीलाल
4. हुकमसिंह उर्फ हग्गो पुत्र बच्चू
5. सुनील पुत्र बच्चू करौली राज0
6. राजकुमारी पत्नी हुकमसिंह उर्फ हग्गो
7. रेखा पत्नी सुनील
8. प्रेम पत्नी बच्चू

जाति कहार निवासीयान झील का हार मैगजीन के पास करौली तहसील व जिला

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 25/10

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजिरी श्री श्याम सुन्दर शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुदई कबरु

श्री महेन्द्रपाल सिंह, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20/12/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोट:-इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज०)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज भीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु०न०:-25/10

तारीख रजु.-7610

उनवान

धर्मसिंह पुत्र सरवन आयु 35 साल जाति लोधा निवासी मैगजीन करौली
तहसील व जिला करौली राज० वादी

बनाम

1. बच्चू पुत्र नानगा
2. मोती पुत्र नानगा
3. राधेश्याम पुत्र बच्चू दत्तक पुत्र मोतीलाल
4. हुक्मसिंह उर्फ हग्गो पुत्र बच्चू
5. सुनील पुत्र बच्चू
करौली राज०
6. राजकुमारी पत्नी हुक्मसिंह उर्फ हग्गो
7. रेखा पत्नी सुनील
8. प्रेम पत्नी बच्चू

जाति कहार निवासीयान
झील का हार मैगजीन के पास
करौली तहसील व जिला

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा


-::निर्णय::-

दिनांक :- 20/3/26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 6606 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा किस्म बारानी ए ग्राम करौली वाके झीलकाहार पटवार हल्का नं० 10 में स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काशत की स्थित है जिसमें प्रतिवादी नं० 1 व 2 का 1/2, 1/2 हिस्सा था प्रतिवादी नं० 1 ने अपने हिस्से 1/2 में से रकवा 10 1/2 विस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.12.2007 की विक्रय कर कर कब्जा वादी को संभलवा दिया तभी से वादी अपनी खरीदशुदा भूमि रकवा 10 1/2 विस्वा पर वाहैसियत खातेदारी काशतकार काबिज रह कर काशत करता चला आ रहा है। मौके पर प्रार्थी की खरीद से पूर्व प्रतिवादी नं० 1 व 2 के मध्य वाहमी बंटवारा हो रहा था जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 का हिस्सा पूर्वी दिशा की ओर दगरे रास्ते के सहारे का था। व प्रतिवादी नंबर 2 का पश्चिम दिशा की ओर का हिस्सा था। दोनों प्रतिवादीयों ने


9 AM
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

अपने-अपने हिस्से में अपनी रिहायश हेतु मकान पाटोर पोश, छान पोश व चीरी पोश व दिशा उत्तर की ओर हरिसिंह माली के खेत की डील की ओर बना रखे है। जिनमें प्रतिवादीगण मय परिवार रिहायश करते चले आ रहे है। अपने दोर मवेशी को भी अपने अपने हिस्से में बांधते व पालते आ रहे है। अपनी वादी नंबर 1 द्वारा अपने 1/2 हिस्से पूर्वी दिशा की ओर में से पूर्वी दक्षिणी सिर की ओर की भूमि में से 10 1/2 विस्वा भूमि का विक्रय सभी प्रतिवादीगण की सहमति लेकर किया व इस हिस्से का खरीद से पूर्व वादी ने भी सभी प्रतिवादीगण से पूछा व सहमति ली सभी ने सहमत होकर प्रार्थी को उक्त भूमि विक्रय की जिस पर वादी खरीद दिनांक से आज तक काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण सभी एक ही परिवार के व्यक्ति है और सभी एक ही स्थान पर रिहायश करते है। प्रतिवादीगण नं0 1 द्वारा मुझ वादी को उक्त हिस्से दर्ज वादपत्र पैरा नंबर 1 पर नपती कर कब्जा संभलवाते वक्त सभी प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित थे सभी ने राजीखुशी नपती कर कब्जा संभलवाया अब प्रार्थी ने गेहूं की फसल काटकर अपने हिस्से की 10 1/2 विस्वा भूमि का बाउण्ड्री कराने से अपने हिस्से की भूमि में 7-8 ट्रोली खण्डे डलवा दिये जिससे सभी प्रतिवादीगण एकजुट होकर दिनांक 12.5.2010 को मेरे हिस्से की भूमि में मदाखलत करने आ गये और मेरे साथ मौका देखने पहुंचे कारीगरों मदनमोहन व रामस्वरूप से झगडा फिसाद करने व गाली गलौज करने लग गये और कहा कि हम तुम्हें बाउण्ड्री नही कराने देंगे हम तुम्हारे हिस्से में से 20 फुट का रास्ता निकालेंगे। प्रतिवादीगण के दिल में बदयान्ति आ गई है और प्रतिवादीगण जबरदस्ती लट्ठ व ताकत के बल पर मेरे हिस्से की भूमि में से रास्ता लेना चाहता है जबकि प्रतिवादीगण संख्या एक बच्चू की शेष 5 विस्वा भूमि रास्ते दगरे के सहारे व दिशा उत्तर पूर्व की बची हुई है। जिसमें वह पाटोर पोश व छान पोश मकान बनाकर रह रहा है व अब तक सभी प्रतिवादीगण बच्चू के हिस्से की शेष भूमि 5 विस्वा में से ही आवागमन करते चले आ रहे है। बच्चू ने व मोती ने हरिसिंह माली की डील के सहारे अपने अपने रास्ते के लिये जमीन खाली छोड रखी है। प्रतिवादीगण को वादी की खरीद सुदा मे मे से किसी भी प्रकार का



 उपरुक्त जादकार
 कहेओ (बच्चे)

कोई रास्ता लेने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार चेष्टा से मुझ वादी को भारी अपूर्णनीय क्षति है इसलिये दावा करना आवश्यक आया है। वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का मुस्तहक है। प्रतिवादीगण के दिल में बदयान्ति आ गयी है। प्रतिवादीगण सहजोर किरम के व मुकदमें बाज व्यक्ति हैं। प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानियां धमकी दी है कि यदि तूने अपने हिस्से की बाउण्डी कराने की कोशिश भी की तो हम तुम्हारे विरुद्ध बलात्कार, मारपीट, चोरी के झूठे मुकदमें दर्ज करवा देंगे तुम्हें व तुम्हारे हिमाश्रती को जेल में सडवा देंगे। तुम जहां चाहो पुकारों हम रास्ता लेकर रहेंगे व तुम्हारे खण्डों को ही ले जावेंगे जिससे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी यही वजह नालिस है। विनाय मुख्यासमत दिनांक 12.5.2010 को प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि की बाउण्डी नहीं कराने देने व जबरदस्ती रास्ता निकालने की ऐलानिया धमकी देने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।


दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 2 ता 7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी नंबर 2 ता 7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 8 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नं0 6606 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा का पटवार हल्का नं0 10 में स्थित होना उक्त आराजी प्रतिवादी नं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की होना व उक्त आराजी में हिस्सा 1/2, 1/2 होना स्वीकार है वाकिया तथ्य जिस प्रकार दर्ज है गलत है व अस्वीकार है। उक्त आराजी का प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य बंटवारा होना व उसमें मकान पाटोरपोश छान पाटोरपोश आदि मकानियत प्रतिवादी नं0 1 व 2 की होना व प्रतिवादी नं0 1 का हिस्सा पूर्व दिशा में दगरे की ओर होना सही व स्वीकार है वाकिया तथ्य जिस प्रकार दर्ज है गलत है व अस्वीकार है। कृषि भूमि खसरा नं0 6606 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा मुझ प्रतिवादी नं0 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पैतृक भूमि रही है पूर्व में


 उपस्थित अधिकारी
 कलेक्ट (सप-0)

उक्त भूमि हम प्रतिवादी नं० 1 व 2 के पिता नानगा पुत्र नंदा के खातेदारी व कब्जे काशत में रही थी। प्रतिवादी नं० 1 व 2 ने आपसी मौखिक समझौता से काशत की सुविधा के लिए उक्त खसरा नंबर के संपूर्ण रकवा के दो बराबर-बराबर हिस्से का बंटवारा कर लिया पूर्व दिशा की ओर रास्ते में जो दगरे से लगी हुई दिशा की भूमि प्रतिवादी नं० 2 मोती के कब्जे काशत की रही प्रतिवादी नं० 1 के हिस्से में दो गह दोपल्ला पाटोरपोश का घर बना है जिसमें प्रतिवादी नं० 1 अपने लडके हुकमसिंह व सुनील अपनी पत्नि और बच्चों के साथ रहता है। वादी का बडा लडका राधेश्याम 20 साल से परिवार से अलग हो चुका है व अलग निवास करता है। उक्त भूमि में प्रतिवादी नं० 1 करता आ रहा है। प्रतिवादी नं० 1 व 2 का शामलाती कुंआ भी मेड पर बना हुआ है। जिससे प्रतिवादी नं० 1 अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई करता चला आ रहा है। प्रतिवादी के उक्त भूमि में स्थित हिस्सा $1/2$ में से 10.5 विस्वा भूमि से कपटपूर्वक बिना कोई प्रतिफल राशि किए तथा तयशुदा बेचान राशि 8,76,000 रुपये अंकेन आठ लाख छियेत्तर हजार रुपये अदा किए बिना दिनांक 5.12.07 को अपने वकील से इस वयनामा को ड्राफ्ट करा व अपने मेल के गवाहान से साजिश कर उनको गवाह बनाकर उपपंजीयक कार्यालय करौली से पंजीकृत करा लिया प्रतिवादीगण नं० 1 से वादी ने वयनामा कराने से कुछ दिन पूर्व 8,76,000 रुपये में बेचान तय किया था वादी ने इस खरीद सौदे को तय कर इसका एक इकरारनामा बेचान स्टाम्प पर प्रतिवादी नं० 1 से अपने हक में तहरीर तकमील करा लिया और इकरारनामे के अधीन प्रतिवादी नं० 1 को 1,11,000 रुपये अदा कर दिए एवम बाकी राशि 7,65,000 रुपये वयनामा पंजीकरण कराते समय देना तय किया था परन्तु वादी ने कपटपूर्वक प्रतिवादी नं० 1 से बकाया राशि 7,65,000 रुपये बाद में अदा करने का झांसा पडोसी होने के कारण प्रतिवादी नं० 1 भरोसे में आ गया और वयनामा पंजीकृत करा दिया इसी दौरान लक्ष्मीनाथ योगी द्वारा एक दावा प्रतिवादी नं० 1 के विरुद्ध कर दिया जिसमें वादी को भी पक्षकार बनाया गया वादी ने प्रतिवादी नं० 1 से कहा कि इस विवादित जमीन के सुलटारे में बरसो लगेंगे तू मेरे 1,11,000/-रुपये वापिस दे दे मुझे तेरी


उपजण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

जमीन नहीं चाहिए प्रतिवादी नं० 1 वादी को पैसे लौटाने को मानी हो गया परन्तु वादी कोई लिखापट्टी करने को मानी नहीं हुआ। कांशिश करने पर गवाह गोपाल कहार व वकील मुकेश कुमार शर्मा एवम वादी के वकील श्यामलाल शर्मा के समय दिनांक 7/2/2008 को लिखापट्टी प्रतिवादी नं० 1 के हक में करने से पहले यह बात कही कि प्रतिवादी नं० 1, 81,000 रुपये वक्त वयनामा दि. 5.12.2007 पंजीयन के समय लेना मंजूर करेगा और इसे इकरारनामा मे दर्ज करायेगा तभी वादी इकरारनामों में 81,000 रुपये की राशि के अलावा बाकी कीमत अपने जिम्में प्रतिवादी नं० 1 के जिम्में मंजूर करेगा व इकरारनामा तहरीर करेगा यह 81,000 रुपये वादी ने 5.12.2007 को हुए वयनामा का खर्चा व पूरे 8,76,000 रुपये का व्याज व अन्य खर्च जोडकर प्रतिवादी नं० 1 के जिम्में गलत निकाल दिए व इसे दिनांक 7.2.2008 के इकरारनामे में गलत दर्ज कराया जिस प्रतिवादी नं० 1 ने वादी के दवाव व प्रभाव में आकर 81000 रुपये लेना माना इस प्रकार प्रतिवादी नं० 1 की जमीन का वयनामा भी हो गया और उसे कोई प्रतिफल राशि भी अदा नहीं हुई। मजबूरन प्रतिवादी नं० 1 को वादी ने 1,11,000 रुपये की राशि गवाह गोपाल कहार व मुकेश शर्मा वकील करौली के समक्ष वापिस अदा कर दी और वादी ने दिनांक 7.2.2008 को अपने वकील श्याम सुन्दर शर्मा करौली से ड्राफ्ट व टाइप कराकर इसमें 81000 रुपये वयनामा के समय लेना गलत अंकित करते हुए प्रतिवादी नं० 1 के हक में रोबरू गवाहान शिवकुमार मेहरा व इन्दरलाल के एवम मुकेश कुमार शर्मा वकील के समक्ष तहरीर तकमील किया और प्रतिवादी नं० 1 के सुपुर्द कर दिया इस प्रकार वयनामा दिनांक 5.12.07 के द्वारा प्रतिवादी नं० 1 को कोई प्रतिफल राशि अदा नहीं हुई। नाही प्रतिवादी नं० 1 व 8 ने उक्त विवादित जमीन पर वादी को कोई कब्जा दिया और आज भी प्रतिवादी नं० 1 व 8 मय परिवार के उक्त जमीन में रिहायश व उसे काशत करते चले आ रहे है वादी का उक्त जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। उक्त वयनामा दिनांक 5.12.2007 को कपटपूर्वक व प्रतिफल रहित होने के कारण इसे कैंसिल कराने हेतु दिनांक 17.8.2009 को न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय करौली के समक्ष दावा बच्चूसिंह बनाम धर्मसिंह


उपसभ अफिसरी
करौली (बल्लू)

ओ एस नम्बर 36/09 वयनामा कौन्सिलेशन का दावा वादी के विरुद्ध कर रखा है जिसमें आगामी पेशी 17.8.2012 निर्धारित है। वादी द्वारा मुकदमे प्रतिवादी नं० 1 व 8 को तंग परेशान करने के लिए झूठी कहानी बनाकर न्यायालय हाजा में उक्त दावा प्रस्तुत किया है विवाद वस्तु भूमि में वादी का ना तो कोई कब्जा है ना कोई फसल है प्रतिवादी नं० 1 व 8 ही उक्त भूमि में काश्त करते चले आ रहे है और आज भी प्रतिवादी नं० 1 व 8 का भूमि पर कब्जा बरकरार है। वादी न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अंत में दाव वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये:-

1. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 6606 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा करबा करौली वादी व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

—वादी

2. अनुतोष :-

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी धर्मसिंह पीडब्ल्यू-1 के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2064-67 प्रदर्श-1, नकल वयनामा प्रदर्श-2, मुकदमा नंबर 44/2011 के दावे की नकल प्रदर्श-3, निर्णय प्रदर्श-4, डिक्री प्रदर्श-5 पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादी समाप्त कर बंद की गई।

साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 13.03.2016 को साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 6606 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा किरम बारानी ए ग्राम करौली वाके झीलकाहार पटवार हल्का नं० 10 में स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है जिसमें प्रतिवादी नं० 1 व 2 का 1/2, 1/2 हिस्सा था प्रतिवादी नं० 1 ने

उपस्थित अधिकारी
करोली (अ.क.०)

अपने हिस्से 1/2 में से रकवा 10 1/2 विस्वा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.12.2007 की विक्रय कर कर कब्जा वादी को संभलवा दिया तभी से वादी अपनी खरीदशुदा भूमि रकवा 10 1/2 विस्वा पर वाहैसियत खातेदारी काश्तकार काबिज रह कर काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर प्रार्थी की खरीद से पूर्व प्रतिवादी नं० 1 व 2 के मध्य वाहमी बंटवारा हो रहा था जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 का हिस्सा पूर्वी दिशा की ओर दगरे रास्ते के सहारे का था। व प्रतिवादी नंबर 2 का पश्चिम दिशा की ओर का हिस्सा था। दोनों प्रतिवादीयों ने अपने-अपने हिस्से में अपनी रिहायश हेतु मकान पाटोर पोश, छान पौश व चीरी पोश व दिशा उत्तर की ओर हरिसिंह माली के खेत की डौल की ओर बना रखे है। जिनमें प्रतिवादीगण मय परिवार रिहायश करते चले आ रहे है। अपने ढोर मवेशी को भी अपने अपने हिस्से में बांधते व पालते आ रहे है। अपनी वादी नंबर 1 द्वारा अपने 1/2 हिस्से पूर्वी दिशा की ओर में से पूर्वी दक्षिणी सिरे की ओर की भूमि में से 10 1/2 विस्वा भूमि का विक्रय सभी प्रतिवादीगण की सहमति लेकर किया व इस हिस्से का खरीद से पूर्व वादी ने भी सभी प्रतिवादीगण से पूछा व सहमति ली सभी ने सहमत होकर प्रार्थी को उक्त भूमि विक्रय की जिस पर वादी खरीद दिनांक से आज तक काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादीगण सभी एक ही परिवार के व्यक्ति है और सभी एक ही स्थान पर रिहायश करते है। प्रतिवादीगण नं० 1 द्वारा मुझ वादी को उक्त हिस्से दर्ज वादपत्र पैरा नंबर 1 पर नपती कर कब्जा संभलवाते वक्त सभी प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित थे सभी ने राजीखुशी नपती कर कब्जा संभलवाया अब प्रार्थी ने गेहूं की फसल काटकर अपने हिस्से की 10 1/2 विस्वा भूमि का बाउण्ड्री कराने से अपने हिस्से की भूमि में 7-8 ट्रोली खण्डे डलवा दिये जिससे सभी प्रतिवादीगण एकजुट होकर दिनांक 12.5.2010 को मेरे हिस्से की भूमि में मदाखलत करने आ गये और मेरे साथ मौका देखने पहुंचे कारीगरों मदनमोहन व रामस्वरूप से झगडा फिसाद करने व गाली गलौज करने लग गये और कहा कि हम तुम्हें बाउण्ड्री नही कराने देंगे हम तुम्हारे हिस्से में से 20 फुट का रास्ता निकालेंगे। प्रतिवादीगण के दिल में बदयान्ति आ गई है


२
 उपरोक्त अधिकारी
 कौली (पुलक)

और प्रतिवादीगण जबरदस्ती लट्ट व ताकत के बल पर मेरे हिस्से की भूमि में से रास्ता लेना चाहता है जबकि प्रतिवादीगण संख्या एक बच्चू की शेष 5 विस्वा भूमि रास्ते दगरे के सहारे व दिशा उत्तर पूर्व की बची हुई है। जिसमें वह पाटोर पोश व छान पोश मकान बनाकर रह रहा है व अब तक सभी प्रतिवादीगण बच्चू के हिस्से की शेष भूमि 5 विस्वा में से ही आवागमन करते चले आ रहे है। बच्चू ने व मोती ने हरिसिंह माली की डौल के सहारे अपने अपने रास्ते के लिये जमीन खाली छोड़ रखी है। प्रतिवादीगण को वादी की खरीद सुदा मे मे से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता लेने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार चेष्टा से मुझ वादी को भारी अपूर्णनीय क्षति है इसलिये दावा करना आवश्यक आया है। वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का मुस्तहक है। प्रतिवादीगण के दिल में बदयान्ति आ गयी हैं। प्रतिवादीगण सहजोर किरम के व मुकदमें बाज व्यक्ति हैं। प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानियां धमकी दी है कि यदि तूने अपने हिस्से की बाउण्ड्री कराने की कोशिश भी की तो हम तुम्हारे विरुद्ध बलात्कार, मारपीट, चोरी के झूठे मुकदमें दर्ज करवा देंगे तुम्हें व तुम्हारे हिमाअती को जेल में सडवा देंगे। तुम जहां चाहो पुकारों हम रास्ता लेकर रहेगें व तुम्हारे खण्डों को ही ले जावेगें जिससे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी यही वजह नालिस है। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।


वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नं0 6606 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा का पटवार हल्का नं0 10 में स्थित होना उक्त आराजी प्रतिवादी नं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की होना व उक्त आराजी में हिस्सा 1/2, 1/2 होना स्वीकार है वाकिया तथ्य जिस प्रकार दर्ज है गलत है व अस्वीकार है। उक्त आराजी का प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य बंटवारा होना व उसमें मकान पाटोरपोश छान पाटोरपोश आदि मकानियत प्रतिवादी नं0 1 व 2 की होना व प्रतिवादी नं0 1 का हिस्सा पूर्व दिशा में दगरे की ओर होना सही व स्वीकार है वाकिया तथ्य जिस प्रकार दर्ज है गलत है व अस्वीकार है। कृषि भूमि खसरा नं0 6606 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा

उपरोक्त अधिकांश
कर्तवी (सच०)

मुझ प्रतिवादी नं० 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काशत की पैतृक भूमि रही है पूर्व में उक्त भूमि हम प्रतिवादी नं० 1 व 2 के पिता नानगा पुत्र नंदा के खातेदारी व कब्जे काशत में रही थी। प्रतिवादी नं० 1 व 2 ने आपसी मौखिक समझौता से काशत की सुविधा के लिए उक्त खसरा नंबर के संपूर्ण रकबा के दो बराबर-बराबर हिस्से का बंटवारा कर लिया पूर्व दिशा की ओर रास्ते में जो दगरे से लगी हुई दिशा की भूमि प्रतिवादी नं० 2 मोती के कब्जे काशत की रही प्रतिवादी नं० 1 के हिस्से में दो गह दोपल्ला पाटोरपोश का घर बना है जिसमें प्रतिवादी नं० 1 अपने लडके हुकमसिंह व सुनील अपनी पत्नि और बच्चों के साथ रहता हैं। वादी का बडा लडका राधेश्याम 20 साल से परिवार से अलग हो चुका है व अलग निवास करता है। उक्त भूमि में प्रतिवादी नं० 1 करता आ रहा है। प्रतिवादी नं० 1 व 2 का शामलाती कुंआ भी मेड पर बना हुआ हैं। जिससे प्रतिवादी नं० 1 अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई करता चला आ रहा है। प्रतिवादी के उक्त भूमि में स्थित हिस्सा 1/2 में से 10.5 विस्वा भूमि से कपटपूर्वक बिना कोई प्रतिफल राशि किए तथा तयशुदा बेचान राशि 8,76,000 रूपये अंकेन आठ लाख छियेत्तर हजार रूपये अदा किए बिना दिनांक 5.12.07 को अपने वकील से इस वयनामा को ड्राफ्ट करा व अपने मेल के गवाहान से साजिश कर उनको गवाह बनाकर उपपंजीयक कार्यालय करौली से पंजीकृत करा लिया प्रतिवादीगण नं० 1 से वादी ने वयनामा कराने से कुछ दिन पूर्व 8,76,000 रूपये में बेचान तय किया था वादी ने इस खरीद सौदे को तय कर इसका एक इकरारनामा बेचान स्टाम्प पर प्रतिवादी नं० 1 से अपने हक में तहरीर तकमील करा लिया और इकरारनामे के अधीन प्रतिवादी नं० 1 को 1,11,000 रूपये अदा कर दिए एवम बाकी राशि 7,65,000 रूपये वयनामा पंजीकरण कराते समय देना तय किया था परन्तु वादी ने कपटपूर्वक प्रतिवादी नं० 1 से बकाया राशि 7,65,000 रूपये बाद में अदा करने का झांसा पडोसी होने के कारण प्रतिवादी नं० 1 भरोसे में आ गया और वयनामा पंजीकृत करा दिया इसी दौरान लक्ष्मीनाथ योगी द्वारा एक दावा प्रतिवादी नं० 1 के विरुद्ध कर दिया जिसमें वादी को भी पक्षकार बनाया गया वादी ने


उपस्थित-अपक्षकारी
कर्तवी (पृष्ठ०)

प्रतिवादी नं० 1 से कहा कि इस विवादित जमीन के मूल्यांकन से पहले
 नवम्बर 1997 में 1,11,000/- रुपये वापिस व 8 मुहुरतें लीं जमीन लीं
 चाहिए प्रतिवादी नं० 1 वादी के पैसे लौटाने का मसौदा हो गया परन्तु
 वादी कोई लिखापट्टी करने को मसौदा नहीं हुआ। कोशिश करने पर
 गवाह गोपाल कटार व वकील मुकेश कुमार शर्मा एवम वादी के वकील
 श्यामलाल शर्मा के समय दिनांक 7/2/2008 को लिखापट्टी प्रतिवादी
 नं० 1 के हक में करने से पहले यह बात कही कि प्रतिवादी नं० 1,
 81,000 रुपये वक्त वयनामा दि. 5.12.2007 पंजीयन के समय लेना
 मंजूर करेगा और इसे इकरारनामा में दर्ज करायेगा यदि वादी
 इकरारनामा में 81,000 रुपये की राशि के अलावा बाकी कीमत अपने
 ज़िम्मे प्रतिवादी नं० 1 के ज़िम्मे मंजूर करेगा व इकरारनामा तहरीर
 करेगा यह 81,000 रुपये वादी ने 5.12.2007 को हुए वयनामा का खर्चा
 व पूरे 8,76,000 रुपये का ब्याज व अन्य खर्चे जोड़कर प्रतिवादी नं० 1
 के ज़िम्मे गलत निकाल दिए व इसे दिनांक 7.2.2008 के इकरारनामा
 में गलत दर्ज कराया जिस प्रतिवादी नं० 1 ने वादी के दबाव व प्रभाव
 में आकर 81000 रुपये लेना माना इस प्रकार प्रतिवादी नं० 1 की
 जमीन का वयनामा भी हो गया और उसे कोई प्रतिफल राशि भी अदा
 नहीं हुई। मजबूरन प्रतिवादी नं० 1 को वादी ने 1,11,000 रुपये की
 राशि गवाह गोपाल कटार व मुकेश शर्मा वकील करौली के समक्ष
 वापिस अदा कर दी और वादी ने दिनांक 7.2.2008 को अपने वकील
 श्याम सुन्दर शर्मा करौली से ड्राफ्ट व टाइप कराकर इसमें 81000
 रुपये वयनामा के समय लेना गलत अंकित करते हुए प्रतिवादी नं० 1
 के हक में रोबरू गवाहान शिवकुमार मेहरा व इन्दरलाल के एवम
 मुकेश कुमार शर्मा वकील के समक्ष तहरीर तकमील किया और
 प्रतिवादी नं० 1 के सुपुर्द कर दिया इस प्रकार वयनामा दिनांक 5.12.07
 के द्वारा प्रतिवादी नं० 1 को कोई प्रतिफल राशि अदा नहीं हुई। नाही
 प्रतिवादी नं० 1 व 8 ने उक्त विवादित जमीन पर वादी को कोई कब्जा
 दिया और आज भी प्रतिवादी नं० 1 व 8 मय परिवार के उक्त जमीन
 में रिहायश व उसे काश्त करते चले आ रहे है वादी का उक्त जमीन
 पर कोई कब्जा नहीं है। उक्त वयनामा दिनांक 5.12.2007 को


 उपस्थित अधिकारी
 करौली (बज०)

कपटपूर्वक व प्रतिफल रहित होने के कारण इसे कैन्सिल कराने हेतु दिनांक 17.8.2009 को न्यायालय जिला न्यायाधीश महोदय करौली के समक्ष दावा बच्चूसिंह बनाम धर्मसिंह ओ.एस.नम्बर 36/09 वयनामा कैन्सिलेशन का दावा वादी के विरुद्ध कर रखा है जिसमें आगामी पेशी 17.8.2012 निर्धारित है। वादी द्वारा मुझ प्रतिवादी नं० 1 व 8 को तंग परेशान करने के लिए झूठी कहानी बनाकर न्यायालय हाजा में उक्त दावा प्रस्तुत किया है विवाद ग्रस्त भूमि में वादी का ना तो कोई कब्जा है ना कोई फसल है प्रतिवादी नं० 1 व 8 ही उक्त भूमि में काश्त करते चले आ रहे है और आज भी प्रतिवादी नं० 1 व 8 का भूमि पर कब्जा बरकरार है। वादी न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार है:-


विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत् 2064-67 प्रदर्श-1, वयनामा प्रदर्श-2 प्रस्तुत किया है। जिसमें भूमि हिस्सा 1/2 वादी की खातेदारी में दर्ज है एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नंबर 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। भूमि वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी में अंकित है। वादी बिना बंटवारा कराये सह खातेदार प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरुद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। सह खातेदारों का भूमि के इंच-इंच पर समान अधिकार व कब्जा होने से वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध बिना बंटवारा कराये किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दावा वादी चलने योग्य नहीं है।

9/11
उपरोक्त अधिकारी
करौली (सब०)

अतः दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकृत किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्वा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/9/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(प्रेमराज मीना)
उपस्थित अधिकारी,
दंडाधिकारी